न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /

R 116 - I/13

राम सेवक शर्मा, अभि
7-1-13

7-1-13

राजकुमारी पत्नी हरनारायण लुहार, निवासी ग्राम इमलिया तह. व जिला दतिया म.प्र. --- आवेदक

बनाम

म. प्र. शासन --- अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 क, नये संशोधन अधिनियम 2011 म.प्र.भू.रा.स. 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 6.3.07 द्वारा पारित न्यायालय कलेक्टर जिला दतिया म.प्र. प्रकरण क्रमांक 106/रूव.निग/06-07 म.प्र. शासन विरूद्ध राजकुमारी के निर्णय से दुखी होकर

6-7-13

श्रीमान जी,

आवेदिका की निगरानी निम्नानुसार है:-

1. यह कि, बाके ग्राम इमलिया तह. व जिला दतिया स्थित सर्वे न. 1290 रकबा 0.43 हेक्टेयर भूमि की मै भूमि स्वामी होकर आधिपत्य धारी हू का लगभग 40 वर्ष पूर्व से मैं उक्त जमीन पर खेती कर रहीहू वर्तमान में मेरे द्वारा बोई हुई फसल खडी हुई है।

2. यह कि, उक्त सर्वे नम्बर का व्यवस्थापन कराये जाने हेतु मैने तहसील न्यायालय दतिया में आवेदन प्रस्तुत किया था जिसका विधिवत इश्तहार जारी कर मौजा पटवारी से रिपोर्ट ली गई थी व दिनांक 6.10.03 को मेरे हक मे व्यवस्थापन कर दिया गया जिसकी मै भूमि स्वामी होकर आधिपत्यधारी हू।

3. यह कि, तहसीलदार दतिया व अनुविभागीय दतिया द्वारा मेरे उक्त जमीन के सम्बंध में एक फर्जी रिपोर्ट तैयार कर माननीय कलेक्टर को प्रतिवेदित किया जिसके आधार पर कलेक्टर जिला दतिया द्वारा

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–116–एक / 2013 जिला–दतिया

राजकुमारी विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी कलेक्टर, जिला–दतिया के प्रकरण क्रमांक 106 / स्व.निग. / 2006–07 में पारित आदेश दिनांक 06–03–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 11–09–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	